

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 182

SM-PRO-2021-001441

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध श्री नवनीत बाजपेयी, काशी नगर, वार्ड नं.-20, पेण्डी,
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-“काशी नगर”

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
23/09/2021	<p>– प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>– अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट “काशी नगर”, पेण्डी, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) में भूखण्ड का विकास करने के लिये छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन कराने हेतु आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 की धारा-3 के परिप्रेक्ष्य धारा-4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रमोटर को प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क छत्तीसगढ़ रेरा में जमा कराना अनिवार्य है। उक्ताशय के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक 3/रेरा/2018, दिनांक 28/03/2018, क्रमांक 14/रेरा/2018, दिनांक 27/07/2018 एवं आदेश क्रमांक 10/रेरा/2019, दिनांक 10/01/2019 आदेश क्रमांक 11/रेरा/2019 दिनांक 10/01/2019 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे, जो कि प्राधिकरण के वेबसाइट पर सहज उपलब्ध है।</p> <p>– परन्तु अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन में पंजीयन हेतु आवश्यक समस्त अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः प्राधिकरण ने अनावेदक द्वारा अधिनियम की धारा-3 (1) एवं 11 (2) का उल्लंघन करने के कारण दिनांक 28.06.2021 को अनावेदक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को प्राधिकरण के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया। उन्हें ई-मेल के माध्यम से भी सूचित किया गया।</p> <p>– अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष प्रकरण की सुनवाई के दौरान उपस्थित होने उपरांत प्रस्तुत जवाब में यह कथन किया है कि विवादित प्रोजेक्ट को जुलाई, 2019 में सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। अतः अनावेदक ने समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करने का आग्रह करते हुये</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 182

SM-PRO-2021-001441

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री नवनीत बाजपेयी, काशी नगर, वार्ड नं.-20, पेण्डी,
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-“काशी नगर”

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करने हेतु अनुरोध किया है।</p> <p>– प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। हाँलाकि अनावेदक ने विवादित प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु वर्ष 2018 में आवेदन प्रस्तुत करने पश्चात् एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से दिनांक 30.05.2018 को पंजीयन शुल्क रूपये 40,000/- का भुगतान किया है। परन्तु अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन हेतु आवश्यक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पंजीयन की प्रक्रिया लंबित है :- नॉन एनकम्बरेन्स प्रमाण पत्र, सर्च रिपोर्ट, Annexure-2,5, कन्वेयन्स डीड आदि। किन्तु यह भी महत्वपूर्ण है कि दिनांक 31.07.2019 को उसे विवादित प्रोजेक्ट का नगरपालिक निगम, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के माध्यम से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। चूँकि अनावेदक का प्रोजेक्ट जुलाई, 2019 में पूर्ण हुआ है। अतः अधिनियम के प्रवर्तन के समय ऑनगोईंग श्रेणी का प्रोजेक्ट होने के कारण अनावेदक को प्रोजेक्ट का पंजीयन कराना आवश्यक था। किन्तु अनावेदक द्वारा पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है। अनावेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने उपरांत पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है। अनावेदक ने विवादित प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी वर्तमान प्रकरण की सुनवाई के दौरान ही प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु प्राप्त राशि रूपये 40,000/- को राजसात करते हुये पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन को नामंजूर किया जाना उचित प्रतीत होता है। अधिनियम की धारा-59 के अनुसार धारा-3 का उल्लंघन किये जाने पर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत की शास्ति व तीन वर्ष कारावास का प्रावधान है। किन्तु यह भी महत्वपूर्ण है कि अनावेदक को विवादित प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। अतः विवादित</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 182

SM-PRO-2021-001441

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री नवनीत बाजपेयी, काशी नगर, वार्ड नं.-20, पेण्ड्री,
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-“काशी नगर”

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>प्रोजेक्ट का विकास कार्य पूर्ण हो जाने के कारण अनावेदक पर अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत कोई शास्ति अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>– उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है:-</p> <p>1) प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन नामंजूर किया जाता है। साथ ही अनावेदक द्वारा पंजीयन हेतु जमा राशि राजसात की जाती है।</p> <p>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>– प्रकरण नस्तीबद्ध कर, अभिलेख कोष्ट भेजा जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही /- (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही /- (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही /- (विवेक ढाँड) अध्यक्ष</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 182

SM-PRO-2021-001441

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध श्री नवनीत बाजपेयी, काशी नगर, वार्ड नं.-20, पेण्ड्री,
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-“काशी नगर”

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
------------------------------------	---------------------	--

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 182

SM-PRO-2021-001441

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध श्री नवनीत बाजपेयी, काशी नगर, वार्ड नं.-20, पेण्ड्री,
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-“काशी नगर”

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
------------------------------------	---------------------	--